हिन्द्स्तान पोल्स निगम

बनाम

केंद्रीय आय्क्त, कलकता

27 मार्च, 2006

[डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन और दलवीर भंडारी, जे. जे.] केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944:

धारा 2 (एफ)- निर्माण-विभिन्न व्यास के विद्युत प्रतिरोधी पाइपों/ट्यूबों को "वेल्डिंग" की प्रक्रिया से जोडा गया, जिनपर शुल्क का भुगतान किया हआ है। और जो खुले बाजार से खरीदा जाता है, क्या यह नया उत्पाद बनता है- क्या यह मैन्युफैक्चर (निमार्ण) की परिभाषा में आता है। अभिनिर्धारित, नहीं है।

अतिरिक्त कलेक्टर केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलकता के द्वारा कारण बताओ नोटिस को इन अपील में चुनौती दी गई है, उक्त नोटिस इस आधार पर दिये गये थे कि वैल्डिंग की प्रक्रिया से विभिन्न व्यास के विद्युत प्रतिरोधी पाइपों/ट्यूबों, जिन पर शुल्क का भुगतान किया हुआ है जो खुले बाजार से खरीदे जाते हैं, जोडे जाने के परिणामस्वरूप एक नया उत्पाद बनता है, अतः अविशिष्ट प्रविष्ट के तहत उत्पाद शुल्क के लिए उत्तरदायी हैं, अर्थात पूर्ववर्ती टैरिफ आइटम 68 दिनांक 27.,02.1986 तक, और उसके बाद दिनांक 28.2.1986 से टैरिफ आइटम 7308 के तहत। केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, कलकत्ता-ां ने नोटिस दिनांक 30.07.1991 को बरकरार रखा। सी. ई. जी. ए. टी. के समक्ष दायर उपरोक्त आदेश के खिलाफ अपील भी खारिज कर दी गई थी। इसलिए यह अपील की गई है।

अपीलार्थियों द्वारा यह तर्क दिया गया था कि इस प्रक्रिया में अलग-अलग व्यास के तीन पाइपों को एक दूसरे से जोड़ा गया है ताकि वांछित लंबाई प्राप्त की जा सके। यह पाइपों की वेल्डिंग की प्रक्रिया दवारा किया जाता है। पाइप अपना मूल चरित्र नहीं खोते हैं, बल्कि एक व्यावसायिक रूप से विशिष्ट उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। पाइप/खंभे पाइप के रूप में अपने मूल चरित्र और पहचान को नहीं खोते हैं। पाइप, पाइप के रूप में अपने चरित्र को बनाए रखते हैं, इसलिए, केंद्रीय उत्पाद श्ल्क अधिनियम की धारा 2 (एफ) के अनुसार निर्माण की कोई प्रक्रिया नहीं हुई। अपीलार्थी के अनुसार, शुल्क भ्गतान किए गए पाइप जो अपीलकर्ताओं द्वारा खरीदे जाते हैं, उन्हें टैरिफ आइटम 26 एए (iv) के तहत दिनांक 27.02.1986 और उसके बाद टैरिफ आइटम 7306.90 के तहत दिनांक 28.02.1986 से पाइप के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इस तरह उनके द्वारा कोई शुल्क देय नहीं होता है। अपीलार्थी का यह भी तर्क है कि निर्माण का सार विपणन योग्य उद्देश्य के लिए एक वस्तु को दूसरी वस्तु में बदलना है।

उत्तरदाताओं का तर्क है कि अपीलार्थी द्वारा की गई प्रक्रिया में केवल तीन अलग-अलग व्यासों के पाइपों को एक-दूसरे के साथ जोड़कर वांछित लंबाई प्राप्त की गई है, इसके अलावा कोई नया सामान और/या वस्तु नहीं निकलती है, क्योंकि पाइपों को एक-दूसरे से जोड़ने की ऐसी प्रक्रिया के बाद भी वे एम. एस. वेल्डेड पाइप के रूप में अपनी पहचान नहीं खोते हैं और इस प्रकार अधिनियम की धारा 2 (एफ) की परिधि में नहीं आता है। एक-दूसरे के साथ तीन अलग-अलग व्यास के पाइपों की केवल वेल्डिंग करना अधिनियम की धारा 2 (एफ) के अर्थ के भीतर निर्माण की प्रक्रिया नहीं है।

न्यायालय द्वारा अपील की अनुमति दी गईः

अभिनिर्धारित 1.1. अपीलार्थियों द्वारा की गई प्रक्रिया एम.एस. वेल्डेड पाइप की मूल पहचान और मूल चरित्र नहीं बदलती है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 2 (एफ) के तहत परिभाषित एक नया विपणन योग्य उत्पाद नहीं बनता है और इस प्रकार अपीलार्थियों की वांछित लंबाई प्राप्त करने के लिए केवल अलग-अलग व्यासों के तीन पाइपों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की गतिविधि को कल्पना के किसी भी विस्तार से 'निर्माण' की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। [475- बी सी एएफ]

श्याम ऑयल केक लिमिटेड बनाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, जयपुर, [2005] 1 एस. सी. सी. 264; भारत संघ बनाम दिल्ली क्लॉथ एंड

जनरल मिल कंपनी लिमिटेड, आकाशवाणी (1963) एससी 791; देवी दास गोपाल कृष्णन और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, बिक्री कर मामले XX (1967) पृष्ठ 430; एम्पायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. (1986) एस. सी. 662; मेसर्स उजागर प्रिंट्स एंड ए.एन.आर. बनाम भारत संघ और अन्य, आकाशवाणी (1989) एस. सी. 516; बिक्री कर आयुक्त, उड़ीसा और ए.एन.आर. बनाम जगन्नाथ कॉटन कंपनी और ए.एन.आर., [1995] 5 एस. सी. सी. 527; ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम सीमा श्ल्क कलेक्टर, कलकत्ता, [2000] 1 एस. सी. सी. 549; सी. सी. ई. बनाम मार्कफेड वनस्पति और संबद्ध उद्योग, [2003] 4 एस. सी. सी. 184; सी. सी. ई. बनाम टेक्नोवेल्ड इंडस्ट्रीज, [2003] 11 एस. सी. सी. 798; मेट्लेक्स (1) (पी) लिमिटेड, (2005) 1 एस. सी. सी. 271; अमन मार्बल इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड बनाम सी. सी. ई., [2005] 1 एस. सी. सी. 279 और राजस्थान एस. ई. बी. बनाम एसोसिएटेड स्टोन इंडस्ट्रीज, [2000] 6 एससीसी 141, से संदर्भ प्राप्त किया गया है।

भारतीय धातु और लौह मिश्र धातु बनाम सी. सी. ई., [1991] पूरक 1 एस. सी. सी. 125 और भारत फोर्ज एंड प्रेस इंडस्ट्रीज बनाम सी. सी. ई., [1990] 1 एस. सी. सी. 532, पर निर्भर था।

2.1. उत्पादन साबित करने का बोझ हमेशा राजस्व पर होता है। उक्त् प्रकरण में प्रत्यर्थी यह साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है कि अपीलार्थी के द्वारा की गई गतिविधि विनिर्माण की परिभाषा में आता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जब एक विशेष वस्तु एक निर्दिष्ट प्रविष्टि द्वारा कवर की जाती है, तो राजस्व अवशिष्ट प्रविष्टि में नहीं ले जा सकता। [475- सी डी]

3.1. अविशष्ट प्रविष्टि केवल उन श्रेणियों के सामानों के लिए है, जो स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट प्रविष्टियों के दायरे से बाहर हैं। जब तक विभाग यह स्थापित नहीं करता है कि विचाराधीन माल को किसी भी टैरिफ आइटम के तहत नहीं लाया जा सकता है, तब तक अविशष्ट वस्तु की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। (475- डी, ई]

सिविल अपीलीय न्याय अधिकारिताः सिविल अपील सं. 5572-5573/2000

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सोना (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, कलकत्ता के अपील सं. ई (एसबी) 571/91 और 582/91 में दिनांक 21.01.2000 के आदेश से।

अपीलार्थी की ओर से श्रीमती इंदु मल्होत्रा, श्रीमती इंकली बरूआ और श्रीमती बीना गुप्ता।

उत्तरदाताओं की ओर से मोहन परासरन, रुद्रेश्वर सिंह, पी परमेश्वरन और चिदानंद डी. एल. गौरव ढींगरा। न्यायालय में निर्णय जिस्टिस दलवीर भंडारी जे॰ के द्वारा सुनाया गया इन अपीलों में शामिल एक संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी के द्वारा की गई प्रक्रिया जिसके द्वारा परिणामी चरणबद्ध पारेषण पोल बनाए गए धाररा 2 ऐ के तहत निर्माण की परिभाषा में आता हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 2 (एफ) निम्नानुसार हैः

"विनिर्माण" में कोई भी प्रक्रिया शामिल है।

- (i) किसी विनिर्मित उत्पाद को पूरा करने के लिए आनुषंगिक या सहायक;
- (ii) जो धारा में किसी माल के संबंध में निर्दिष्ट है या केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की [पहली अनुसूची] के अध्याय टिप्पणियाँ, 1985 (5 1986) की राशि के रूप में [निर्माण; या]

"निर्माण" शब्द लैटिन मूल का एक यौगिक शब्द है जो "मनु", हाथ से और "फेसेरे", करने के लिए, बनाने के लिए, बनाने के लिए शब्दों के योग से बना है, लेकिन इसका अर्थ केवल हाथ से किए जाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मशीनों द्वारा किया गया कार्य भी शामिल है। इन री टेकोपा मिन आदि., सीओ. 110 फेड 120, 121.)

शब्दों और वाक्यांशों के स्थायी संस्करण में निम्नलिखित अंश दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स, ए. आई. आर. (1963) एससी 791 में अनुमोदन के साथ संदर्भित किया गया था। पृष्ठ संख्या 795 पर: 'विनिर्माण' का तात्पर्य परिवर्तन है, लेकिन प्रत्येक परिवर्तन विनिर्माण नहीं है। फिर भी एक वस्तु का हर परिवर्तन उपचार, श्रम और आवश्यकतानुसार किया गया परिवर्तन का परिणाम है लेकिन कुछ और आवश्यक है और परिवर्तन होना भी चाहिएः परिवर्तन से एक नया और अलग वस्तु उभरनी चाहिए जिसका विशिष्ट नाम, चरित्र या उपयोग हो।

उक्त मामले में हमारा प्रयास अपीलार्थी की गतिविधि की विधायी आशय और आलोक में जांच करना होगा जैसा कि परिभाषा में शामिल है।

इन अपीलों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त कलेक्टर, कलकता

1. द्वारा जारी किया गया, कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी गई है,

उक्त नोटिस इस आधार पर जारी किया गया था कि विभिन्न व्यास के

विद्युत प्रतिरोधी पाइपों/ट्यूबों की "वेल्डिंग" की प्रक्रिया से जोडा जाता है,

जिस पर शुल्क का भुगतान किया गया है और खुले बाजार से खरीदा जाता

है, एक नए उत्पाद में परिणाम देता है और इसलिए, अविशष्ट प्रविष्टि के

तहत उत्पाद शुल्क के लिए उत्तरदायी है, यानी पूर्ववर्ती टैरिफ आइटम 68

से दिनांक 27.02.1986 तक, और उसके बाद टैरिफ आइटम 7308 के

तहत दिनांक 28.02.1986 से अविधि।

1984 में वित्त मंत्री के बजट भाषण के अनुसरण में, एक अध्ययन केंद्रीय उत्पाद शुल्क की समीक्षा करने के लिए अध्ययन समूह का गठन

किया गया था ताकि इसे तर्कसंगत बनाया जा सके। अध्ययन समूह ने अपनी रिपोर्ट में मुख्य रूप से सिफारिश की है:

- (1) केंद्रीय उत्पाद शुल्क को तर्कसंगत बनाना ताकि इसे और अधिक वैज्ञानिक बनाया जा सके और व्याख्या के औपचारिक नियमों द्वारा विधिवत समर्थित एक विस्तृत और स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणियाँ ताकि वर्गीकरण विवादों से बचा जा सके;
 - (2) गैर-विशिष्ट शुल्क मद 68 को हटाना और पुनः वर्गीकृत करना
- (3) चयनात्मक में 'विनिर्माण' की अवधारणा को शामिल करना। श्लक प्रविष्टियाँ, जहाँ भी आवश्यकता हो;
 - (4) शुल्क की प्रभावी दरों की बह्लता को कम करना;
- (5) सभी उत्पादों पर प्रोफार्मा क्रेडिट/सेट-ऑफ प्रक्रिया का विस्तार करना।
- (6) लघु उद्यमों को छूट के लिए दीर्घकालिक त्रुटिहीन योजना तैयार करना।
- (7) प्रशासनिक निर्णयों के मुद्दे के लिए प्रावधान करना वस्तुओं का वर्गीकरण;
- (8) वस्तुओं के वर्गीकरण पर विभागीय रुख में बदलाव केवल संभावित प्रभाव के लिए; और

(9) उत्पाद शुल्क प्रक्रियाओं को और अधिक सरल बनाने के लिए उनमें बदलाव जटिलताओं और विवादों से बचने के लिए।

तकनीकी अध्ययन समूह की इन सिफारिशों के आधार पर सेंट्रल एक्साइज टैरिफ को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से अलग कर नया अधिनियम बना दिया गया।

नए उत्पाद शुल्क की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

- (क) केंद्रीय उत्पाद शुल्क को ज्यादा विस्तरत और समावेशी बनाया जाना है और सभी तकनीकी बिंद्ओं का ध्यान रखा जाना है।
- (ख) यह कानून अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित है Harmonised Commodity Description' and 'Coding System' (HSN) जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित है इसमें आवश्यक परिवर्तन किये गये हैं।
- (ग) एक ही वर्ग की वस्तुओं को एक साथ समूहीकृत किया गया है ताकि उन्हें एक ही उपचार में समानता मिल सके।
- (घ) प्रत्येक सेक्शन चैप्टर में विस्तृत नोट लिखे गये हैं जिसमें उस सेक्शन और चैप्टर के कार्यक्षेत्र और दायरे का विस्तृत स्पष्टीकरण दिया गया है और इन नोटस को वैधानिक शक्तियां दी गई है, जो कि प्रत्येक सेक्शन और चैप्टर के उपर ही लिखी गई है।
- (ङ) संबंधित अध्यायों में विशेष प्रावधान शामिल किया गया है, उन मामलों में जिनमें माल के संबंध में समस्या पैदा होती थी।

- (च) सामान्य अवशिष्ट शुल्क मद 68 को समाप्त कर दिया गया है और इसके बजाय प्रत्येक के लिए अवशिष्ट वस्तुओं को अलग-अलग प्रत्येक अध्ययन के तहत माल के संबंध में जोड दिया गया है।
- (छ) व्याख्यात्मक नियम भी प्रदान किए गए हैं ताकि वैधानिक दिशा निर्देश व्याख्यात्मक नियमों को प्रदान किये जा सके।
- (ज) सरकार के पास नोटिफिकेशन के जरिये पहली बार शुल्क बढ़ाने की शक्ति होगी परंतु सीमित दायरे में, जो दायरा इस अधिनियम में दिया गया है।
- (झ) केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 8 से छूट देने की वर्तमान प्रथा को जारी रखा गया।

नए केंद्रीय उत्पाद शुल्क की अन्य प्रमुख विशेषता यह है कि कच्चे माल से शुरू होने वाली सभी वस्तुओं को वर्गीकृत करने के सिद्धांत को अपनाता है और उसी अध्याय के भीतर तैयार उत्पादों के साथ समाप्त होता है। इस प्रकार विभिन्न उत्पादों को समूहबद्ध करने के उद्देश्य से, नया शुल्क कच्चे माल और अर्ध-निर्मित व पूर्ण निर्मित उत्पादों के बीच अंतर नहीं करता है और कुछ अपवादों को छोड़कर नया शुल्क एक ही उद्योग से संबंधित सभी वस्तुओं और एक ही कच्चे माल से प्राप्त सभी वस्तुओं को एक अध्याय के तहत प्रगतिशील तरीके से समूहबद्ध करने के लिए बनाया गया है।

ये अपीलें निम्नलिखित दो कारण बताओं नोटिस से उत्पन्न होती हैं:

कारण बताओ नोटिस	अवधि	राशि
दिनांक 17.11.1980	दिनांक 01.08.1985 से	रूपये 2,41,333.98
	दिनांक 31.01.1989	
दिनांक 11.01.1990	दिनांक 01.02.1989 से	रूपये 64,666
	दिनांक 31.03.1989	

अपीलार्थियों के अनुसार, वांछित लंबाई प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ अलग-अलग व्यास के तीन पाइपों को जोड़ने की प्रक्रिया है। यह पाइपों की वेल्डिंग की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। पाइप अपने मूल चिरत्र को नहीं खोते हैं, और कुछ परिवर्तित हो जाते हैं, जो एक व्यावसायिक रूप से विशिष्ट उत्पाद है। पाइप/खंभे अपने मूल चिरत्र और पहचान को नहीं खोते हैं। पाइप, पाइप के रूप में अपने चिरत्र को बनाए रखते हैं, इसलिए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 2 (एफ) के अनुसार निर्माण की कोई प्रक्रिया नहीं की जाती है। अपीलार्थियों के अनुसार, शुल्क भुगतान किए गए पाइप जो अपीलार्थियों द्वारा खरीदे जाते हैं, उन्हें टैरिफ आइटम 26 एए (iv) के तहत दिनांक 27.02.1986 तक और उसके बाद टैरिफ आइटम 7306.90 के तहत दिनांक 28.2.1986 से पाइप के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

प्रशुल्क मद 26 एए (iv) निम्नानुसार है:

मद सं. 26 एए (iv): पाइप और ट्यूब (इसलिए रिक्त स्थान सिहत) सभी प्रकार, चाहे लुढ़का हुआ, जालीदार, कताई, कास्ट, खींचा गया, एनील्ड, वेल्डेड या निकला हुआ"।

दिनांक 28.02.1986 के बाद, उक्त पाइपों को अनुसूची के उप-शीर्षक 7306.90 के तहत वर्गीकृत किया गया था, जो नीचे दिया गया है:

" शीर्षक संख्या. 73.06: अन्य नितयाँ, पाइप और खोखते प्रोफाइल (के लिए) उदाहरण के लिए, लोहे की खुली सीम या वेल्डेड, रिवेटेड या इसी तरह से बंद) या स्टील "।

अपीलार्थियों के अनुसार, निर्माण का सार है विपणन योग्य उद्देश्य के लिए एक वस्तु को दूसरी वस्तु में बदलना।

अपीलकर्ताओं का कथन है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त कलेक्टर, कलकता ने गलत रूप से केंद्रीय उत्पाद शुल्क के फैसले पर भरोसा किया है और एसोसिएटेड स्ट्रिप्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में सी. ई. जी. ए. टी.) लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलक्टर एसोसिएटेड स्ट्रिप्स प्राइवेट द्वारा दायर 1990 की सिविल अपील संख्या 6212 में पारित इस न्यायालय के दिनांक 22.07.1991 के एक फैसले द्वारा इस फैसले को खारिज कर दिया गया है। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थियों द्वारा निर्मित खंभों को टैरिफ आइटम 7308.90 के तहत वर्गीकृत करने की मांग कर रहा है

जो संरचनाओं से संबंधित शीर्षक 73.08 के तहत एक अवशेष प्रविष्टि है। अपीलार्थियों के अनुसार, उत्तरदाता ने यह साबित नहीं किया है कि मात्र वैल्डिंग की प्रक्रिया से खंभे संरचनाओं के अवशेष प्रविष्टि में कैसे आते हैं। उत्पादन साबित करने का भार हमेशा राजस्व पर होता है, जैसा कि इस न्यायालय ने कई मामलों में कहा है और हाल ही में तय किए गए मामले श्याम ऑयल केक लिमिटेड बनाम में दोहराया गया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर के कलक्टर ने [2005] में रिपोर्ट किया 1 एस. सी. सी.

इस मामले के तथ्यों पर लौटते हुए, कारण बत्सा ओ नोटिस जो अतिरिक्त कलेक्टर कलकता ने दिनांक 11.01.1989 के द्वारा भेजा गया प्रासंगिक हिस्सा निम्न प्रकार से हैं:

"ऐसा प्रतीत होता है कि एम/एस हिन्दुस्तान पोल्स कार्पोरेशन, एक साझेदारी फर्म जिसका कार्यालय 4 ए, मार्कस स्क्वायर, कलकता-7 में है और काम करता है 120 ए, मानिकटोला मेन रोड, कलकता-54 (इसके बाद संदर्भित) 'उक्त फर्म' के रूप में) 'स्टील ट्यूबलर पोल्स' के निर्माता (इसके बाद अध्याय उपशीर्षक के तहत वर्गीकृत "उक्त माल" के रूप में संदर्भित) उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 की अनुसूची की सं. 7308.90 (5 1986 का) और जिसे

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट के टैरिफ आइटम 68 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता था केंद्रीय उत्पाद श्ल्क लागू होने से पहले का केंद्रीय उत्पाद श्ल्क उत्पाद श्ल्क अधिनियम, 1985 ने धारा 6 के प्रावधान का उल्लंघन किया है। केंद्रीय उत्पाद श्ल्क और नमक अधिनियम, 1944 (इसके बाद के रूप में संदर्भित) "उक्त अधिनियम") नियम 174 और नियम 9 (1), 173 बी के प्रावधानों के साथ पढ़ा गया, 173 सी, 173 जी (1) और (2) नियमों 52 ए के साथ पढ़ा जाता है, और 173 जी (4) नियमों के साथ पढ़ा जाता है। 53 और केंद्रीय उत्पाद श्ल्क नियम 1944 के 54 और 226 (इसके बाद संदर्भित) केंद्र के श्ल्क भ्गतान से बचने के इरादे से भौतिक तथ्यों को छिपाते हुए उक्त माल पर लगाया जाने वाला उत्पाद श्ल्क उक्त माल के उत्पादन और निकासी और द्रपयोग से संबंधित अधिसूचना संख्या 178/85 दिनांक 01.08.1985 के तहत दी गई रियायत और सं. 175/86 दिनांकित 01.03.1986 जैसा कि उक्त कंपनी में संशोधित किया गया है। 120 ए, मानिकटोला में निर्मित और उनके कार्यों से हटा दिया गया मेन रोड, कलकत्ता-54 "1

नोटिस में आगे इसका उल्लेख किया गया थाः

"3 (ख) (i) दिनांक 20.12.1988 को कार्यों के निरीक्षण के दौरान तथा दिनांक 20.12.1988 के द्वारा दिये गये बयान से यह पता चला कि उक्त माल ई.आर.डब्ल्यू ट्यूब जोकि तीन हिस्सों में उपयुक्त लंबाई और उसके बाद उच्च और छोटे व्यास पाइप हैं, को लाल होने तक गर्म किया गया और मैन्अल रूप से हथौड़े से मारा गया। बड़े साइज के पाइप को छोटा बनाने के लिए विद्युत शक्ति का उपयोग किया गया ताकि एकरूपता बनी रहे। बडे व्यास के पाइप इस तरह के होंगे कि छोटे व्यास के पाइपों में प्रवेश कर प्राकृतिक रूप से ठंडा होने दिया जाये। उपरोक्त पाइपों के जोड़ों को ठप्पे देकर उनके चारों तरफ की पकड को जोड़ों पर और प्रत्येक कमी पर एकरूपता बनाकर सतह का झुकाव 45 डिग्री पर रखते ह्ए संक्रमण बिन्दू बनाया जाता है ताकि पानी गिर सके इस नये माल से ट्रिब्यूलर पॉल बनाये गये जोकि एक निर्मित वस्त् है और धारा 2 के तहत निर्माण की परिभाषा में आती है।"

अपीलकर्ताओं ने तुरंत उक्त नोटिस का जवाब भेज दिया था। प्रासंगिक उत्तर में से इस प्रकार है: 2.4. यह हमारे द्वारा दिनांक 20.12.1988 पर दिए गए एक बयान से पता चला था कि पोल्स के निर्माण की प्रक्रिया इस प्रकार हैः

अलग-अलग व्यास के ई. आर. डब्ल्यू. ट्यूबों को एक सिरे पर लाल गर्म ताप से छोटा किया जाता है और छोटे व्यास की टयूब उसके अंदर मैनुअली ठोककर तीन हिस्सों में डाली जाती है उसके बाद पाइप के मुंह के बिंदु पर जोडो पर ठपे मारकर चारों आेर से पकड बनाई जाती है, सतह का झुकाव 45 डिग्री बनाया जाता है तािक पानी गिर सके, बिजली का उपयोग बड़ी लंबाई के पाइपों को छोटे टुकडो में काटने में किया जाता है जो नये माल से पोल बना वो नया आर्टिकल है जिसमें कि निमार्ण की प्रक्रिया लगी, जैसा कि निर्माण की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया, जो धारा 2 एफ के तहत बताया गया।

2.5. हालांकि पोल्स के तीनों खंडों के जोड पर वेल्डिंग की प्रक्रिया जोड बनाने के लिए काम मे लाई जाती है और जो पोल तैयार होता है उस पर माल देने से पहले पेंट और वार्निश की जाती है, बिजली की वेल्डिंग के इस्तेमाल में कोई कथन किया गया और न ही पेंट और वार्निश के बारे में कोई कथन किया गया परंतु बेलेंस सीट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि (ए) कटिंग और वेल्डिंग के लिए किया जाता है, और (ख) पेंटिंग के लिए पेंट और वार्निश नियमित रूप से हमारे द्वारा किया गया।

इस उत्तर में यह भी उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थियों द्वारा शुरू की गई प्रक्रिया केवल तीन अलग-अलग व्यास के पाइपों को एक के साथ दूसरे को वांछित रूप से जोड़ना था। पाइपों को एक-दूसरे से जोड़ने की ऐसी प्रक्रिया के बाद भी वे एम. एस. वेल्डेड पाइप के रूप में अपनी पहचान नहीं खोते हैं और इस प्रकार अधिनियम की धारा 2 (एफ) की परिधि को आकर्षित नहीं करते हैं, क्योंकि तीन अलग-अलग व्यास के पाइपों को एक-दूसरे के साथ केवल वेल्डिंग करने की प्रक्रिया है अधिनियम की धारा 2 (एफ) के अर्थ के में निर्माण की प्रक्रिया नहीं हैं।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, कलकता -। के आदेश दिनांक 30.07.1991 के अनुसार अपीलार्थियों द्वारा की गई प्रक्रिया से यह है कि खंभों को नए टैरिफ आइटम नंबर 7308.90 के तहत आते हैं और अपीलार्थी शुल्क और जुर्माना देने के लिए बाध्य होते हैं।

अपीलार्थी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलकता, कलेक्टर के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने अपील पेश की, सी. ई. जी. ए. टी., ई-एस. बी.-571 और ई-एस. बी.-582 1991 सी. ई. जी. ए. टी. ने केंद्रीय कलेक्टर के फैसले की पुष्टि कर कहा कि निर्माण का सार विपणन योग्य उद्देश्य के लिए एक वस्तु को दूसरी वस्तु में बदलना है। परिणामी उत्पाद, इस प्रकरण में, एक अलग नाम, चरित्र और उपयोग है। श्रम के उपयोग द्वारा परिवर्तन किया गया है। सी. ई. जी. ए. टी. के अनुसार, पाइप और

खंभे बाजार में ज्ञात दो अलग-अलग वस्तुएं हैं। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि इसमें निर्माण की कोई प्रक्रिया शामिल नहीं है।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने इस न्यायालय का रूख किया और कहा कि सी. ई. जी. ए. टी. का विवादित आदेश इस न्यायालय के कई फैसलों के विपरीत है। इंडियन मेटल्स और फेरो अलाय बनाम सीसीई 1991 एसयूपीपी एससीसी 125 उक्त प्रकरण के तथ्य इस प्रकरण के तथ्यों से काफी मिलते जुलते हैं, उक्त प्रकरण में अपीलार्थी लोहे और स्टील के पाइप, टयूबस और पोल्स का निर्माता है, यह सभी उत्पाद केंद्रीय सरकार के टेलीफोन और टेलीग्राम के द्वारा उपयोग में लाये जाते हैं, पर इनका इस्तेमाल संचरण और रोशनी के लिए भी किया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की पहली अनुसूची में शुल्क वस्त् 26 एए को डब्ल्यू. ई. एफ. दिनांक 24.04.1962 पेश किए जाने के बाद भारत सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 8 के तहत दिनांकित 01.03.1963 अधिसूचना जारी की, जिसके द्वारा "टेलीग्राफ, अधिनियम की पहली अनुसूची की मद 26 एए के तहत आने वाले टेलीफोन और बिजली की रोशनी और पारेषण खंभों को पूरी तरह से छूट घोषित की गई थी। तदन्सार, अपीलार्थी को 1962 से 1975 तक माल पर शुल्क का भुगतान करने की अनुमति नहीं थी। दिनांक 01.03.1975 पर, विधायिका ने अधिनियम की पहली अन्सूची में टैरिफ आइटम 68 जोडा गया, जिसमें "ऐसी वस्तुएं शामिल हैं जो कहीं और निर्धारित नहीं

हैं"। इसके बाद, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक ने यह विचार व्यक्त किया कि अपीलार्थी द्वारा निर्मित खंभे मद 26-एए के तहत नहीं, बल्कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क की मद 68 के तहत वर्गीकृत किए जा सकते हैं और इसलिए, अपीलार्थी नोटिस की तारीख तक दिनांक 01.01.1975 से उसके द्वारा निर्मित सभी वस्तुओं पर शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

दिनांक 24.04.1962 को टैरिफ आइटम 26-ए. ए. को पहली अनुसूची में जोड़ा गया था। दिनांक 01.01.1975 को विधायिका ने अधिनियम की पहली अनुसूची में टैरिफ आइटम 68 जोड़ा, जिसमें "ऐसी वस्तुएं शामिल हैं जो कहीं और निर्धारित नहीं हैं"। इसके बाद भी, अपीलार्थी ने वर्गीकरण सूची दायर की जिसमें खंभों को मद 26-एए के तहत माना और प्रासंगिक अधिसूचना के तहत छूट के लिए पात्र माना (जिसने दिनांक 01.03.1963 की अधिसूचना का स्थान लिया था)। इन वर्गीकरण सूचियों को मंजूरी दे दी गई और अपीलार्थी ने बिना किसी छूट के अपने माल का अगस्त 1982 तक भुगतान करना जारी रखा।

इस न्यायालय के निष्कर्षों के अनुसार दिनांक 01.03.1975 से पहले अपीलार्थी सही रूप से 26-एए के तहत वर्गीकृत किया गया था, आइटम 68 जोडने के बाद आइटम 26-एए की व्याख्या में काफी अंतर आ गया है। जैसा कि इस न्यायालय ने कहा, मद 68 का उद्देश्य केवल एक अवशिष्ट मद के रूप में था। यह उन वस्तुओंंं को शामिल करता है जो पहले किसी भी आइटम में उल्लेखित नहीं है। यदि जैसा कि न्यायाधिकरण द्वारा माना गया है, ट्रिब्यूनल के द्वारा यह माना गया है कि निर्मित खंभीं को आइटम 26-एए के तहत सही रूप से वर्गीकृत किया गया है तो वर्गीकरण के बिंदू को दोबारा नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि आइटम 68 को इसलिए लाया गया था ताकि एेसे आइटम जो कर के दायरे में नहीं आते, उन्हें भी कवर किया जाये। इस न्यायालय के द्वारा यह अवलोकन किया गया है कि न्यायालय के समक्ष उचित प्रश्न यह है कि क्या जो माल अपीलार्थी के द्वारा तैयार किया गया है उसे आइटम 68 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, जवाब सकारात्मक होना चाहिए इस न्यायालय ने निम्न प्रकार से यह टिप्पणी की:

(ए) यह आइटम लौहे और स्टील से बने वस्तुओं का विवरण देते हैं जो उसमें बताये गये हैं, असिस्टेंट कलेक्टर के द्वारा जो विवरण दिया गया है उसका मुख्य बिन्दु यह है कि अपीलार्थी के द्वारा जो पोल बनाये गये हैं वो साधारण पाइप और टयूब नहीं है जिसके द्वारा तरल पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह जाता है (बी) इनका निर्माण बहुत ही जटिल और विस्तृत और जटिल प्रक्रिया से किया गया है, जहां तक पहले बिन्दु का प्रश्न है जैसे पाइप और टयूब साधारणतः तरल पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं उसी तरह इन खंभों के जरिये तारों से विद्युत शक्ति को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया

जाता है, इस तरह दोनों के कामों की प्रकृति में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इसके अलावा भी टयूब और पाइप हमेशा ही इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं किये जाते। इनका इस्तेमाल झंडारोहण व मचान या चब्तरे या अन्य कामों के लिए भी किया जा सकता है, जिसमें कोई तरल पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, इसलिए यह कोई उचित आपित नहीं है, जहां तक दूसरे बिंद् का प्रश्न है उसमें यह कहना काफी होगा कि 26-एए का उपबंध 4 कहता है कि पाइप और ट्यूब (इसलिए रिक्त स्थान सहित) सभी प्रकार के, चाहे लुढ़का ह्आ, जालीदार, कताई, कास्ट, खींचा गया, एनील्ड, वेल्डेड या निकला ह्आ, यह काफी व्यापक है जिसमें हर तरह के पाइप और टयूब आ जाते हैं। इस प्रकरण में जो अंतिम वस्तु तैयार हुई है वह पाइप और टयूब का सेट है, जिसका व्यास अलग अलग है, जो एक दूसरे से विभिन्न तरीकों से जुड़े ह्ए हैं। तथािकथत निर्माण कुछ भी नहीं है, मात्र कई पाइप और टयूब को विभिन्न प्रक्रियाओं से जोडना है जो माल तैयार ह्आ है वह लोहा और स्टील के पाइप और टयूब ही हैं, जिनका विवरण आइटम 26 एए 4 में दिया ह्आ है, इनको सही रूप से विपणन वस्तु भी नहीं कहा जा सकता, इनमें से कुछ को तो पोल कहा गया है, जिसका मतलब एक लंबा पतला धातु या लकडी का लंबा गोल टुकडा है, विद्युत के पोल बीच में से खोखले होते हैं इसलिए उन्हें पाइप या टयूब से अलग भी नहीं माना जा सकता है इन्हें विशिष्ट विपणन योग्य वस्त् मात्र पोल कहने से नहीं माना जा सकता। यह उसी बाजार में बिकती है जहां साधारणतः

पाइप और टयूब बिकती है। इन पोल पर कुछ प्रक्रिया करने से मूल पाइप या इनके इस्तेमाल बदलने से इन्हें विपणन योग्य विशिष्ट वस्तु नहीं माना जा सकता।

यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलार्थी का माल जिसके संबंध में विचार किया जा रहा है, जिस पर शुल्क टैरिफ आइटम 26 एए के तहत लगाया जा सकता है।

भारत फोर्ज् एंड प्रेस इंडस्ट्रीज बनाम सी. सी. ई. ने [1990] 1 एस. सी. सी. में रिपोर्ट किया 532, इस न्यायालय ने कहा कि प्रश्ल्क मद 26-एए (iv) में सभी प्रकार के पाइप और ट्यूब शामिल हैं। इसमें शीट्स, रॉड्स, बार, प्लेट या बिलेट्स से बने पाइप और ट्यूबों और बड़े पाइप और ट्यूबों से बने ट्यूबों के बीच कोई अंतर नहीं है। इससे कोई फर्क नही पडता कि पाइप और ट्यूबों का निर्माण रोलिंग, फोर्जिंग, कताई, कास्टिंग, ड्राइंग द्वारा किया जाता है या नहीं। एनीलिंग, वेल्डिंग या एक्सडूडिंग। 'पाइप फिटिंग्स' अभिव्यक्ति केवल यह दर्शाती है कि यह एक विशेष लंबाई, आकार या आकार की पाइप या ट्यूब है। पाइप फिटिंग्स पाइप और ट्यूब बनना बंद नहीं करते हैं, वे केवल उनकी एक प्रजाति हैं। वे केवल बड़े पाइप और ट्यूबों के लिए सहायक उपकरण या पूरक के रूप में अभिप्रेत हैं। वे पाइप और ट्यूबों से बने पाइप और ट्यूब हैं, उनके मूल भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं ह्आ है और उनके अंतिम उपयोग में कोई

परिवर्तन नहीं हुआ है। यह नहीं कहा जा सकता है कि पाइप फिटिंग, हालांकि बाजार में पहचान का एक विशिष्ट नाम या बैज हो सकता है, पाइप और ट्यूब नहीं हैं। "सभी प्रकार" शब्दों का यह उपयोग और उन विभिन्न प्रक्रियाओं का संदर्भ जिनके द्वारा शुल्क प्रविष्टि में निर्धारित उत्पाद शुल्क का उत्पादन किया जा सकता है, पर्याप्त रूप से व्यापक हैं जो पाइप फिटिंग को उनके तहत आने वाली सभी पाईप फिटिंग को शामिल करता है।

इस न्यायालय ने आगे कहा कि विचाराधीन आइटम मद 26 एए (iv) के अंतर्गत आता है। टैरिफ आइटम 68 एक अविशष्ट प्रविष्टि है। जब तक विभाग यह स्थापित नहीं कर देता है कि विचाराधीन माल तर्क की किसी भी कल्पनीय प्रक्रिया किसी भी टैरिफ आइटम के तहत नहीं लाया जा सकता तब तक अविशष्ट आइटम की श्रेणी मे नहीं लाया जा सकता है। अविशष्ट प्रविष्टि को लागू करने के लिए विभाग की चिंता को अनुचित माना गया।

इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने भारत संघ बनाम दिल्ली का कपड़ा और जनरल मिल कंपनी लिमिटेड, ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 791 में 'निर्माण' का अर्थ तय करने का प्रयास किया था। अदालत ने कहा कि 'निर्माण' जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के तहत जिस पर शुल्क लगाया जा सकता है, उसके लिए "बाजार में ज्ञात एक नए पदार्थ को अस्तित्व में लाना चाहिए।

इस न्यायालय की एक अन्य संविधान पीठ ने देवी दास गोपाल कृष्णन व अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य मामले में यह फैसला सुनाया। (1967) पृष्ठ 430 में रिपोर्ट किया गया है कि, न्यायालय ने 'निर्माण' के शब्दकोश अर्थ पर भरोसा किया और अदालत के अनुसार 'निर्माण' का अर्थ है 'कच्चे माल को उपयोग के लिए बदले हुए रूप में बदलना या फैशन करना'। न्यायालय ने कहा कि यदि एक प्रक्रिया द्वारा अलग पहचान अस्तित्व में आती है तो इसे 'निर्माण' कहा जा सकता है।

एम्पायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. (1986) एस. सी. 662, में मामले में टिप्पणी की कि निर्माण तब पूरा हो जाता है जब कच्चे माल पर कोई प्रक्रिया कर उसके अंदर परिवर्तन लाया जाता है, एेसी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप जो नई वस्तु बनती है और यह नई वस्तु का विशिष्ट नाम चरित्र या इस्तेमाल हो, यह प्रक्रिया निर्माण कहलाती है। किसी प्रकरण में कोई निर्माण हुआ है या नहीं, यह तथ्य एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

मैसर्स उजागर प्रिंट्स एंड ए. एन. आर. बनाम भारत संघ और अन्य मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ, ए. आई. आर. (1989) एस. सी. 516-ने एम्पायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड में पूर्ववर्ती निर्णय का पालन करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि प्रक्रिया के परिणामस्वरूप विशिष्ट चरित्र और उपयोग के साथ एक नई वस्तु अस्तित्व में आती है तो वस्तु के निर्माण की सभी आवश्यक शर्त को पूरा माना जा सकता है।

यह न्यायालय बिक्री कर सेल्स टेक्स के आयुक्त, उड़ीसा और ए.एन.आर. बनाम जगन्नाथ कॉटन कंपनी और अन्य, [1995] 5 एस. सी. सी. 527-में उल्लेख किया गया है कि निर्माण अपने सामान्य अर्थ में नई और विभिन्न वस्तुओं के उद्भव को दर्शाता है जैसा कि प्रासंगिक वाणिज्यिक हलकों में समझा जाता है।

ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर, कलकत्ता, [2000] 1 एस. सी. सी. 549 में इस न्यायालय ने न्यायालय के पहले के मामलों अवलोकन किया और अभिनिणिर्त किया कि 'निर्माण' का अर्थ एक परिवर्तन है, लेकिन हर परिवर्तन निर्माण नहीं है और फिर भी एक वस्तु का परिवर्तन उपचार, श्रम और आवश्यकतानुसार बदलाव का नतीजा होता है, का परिणाम है। लेकिन कुछ और आवश्यक है और परिवर्तन आवश्यक शर्त है; एक विशिष्ट नाम, चरित्र और उपयोग के साथ एक नई और अलग वस्तु उभरनी चाहिए। इस मामले में, 'निर्माण' शब्द के विभिन्न अर्थ हैं, लेकिन जब तक अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया जाता है, तब तक इसकी व्याख्या वस्तु और अनुभागों में उपयोग की

जाने वाली भाषा के संदर्भ में की जानी चाहिए। यह उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां केवल प्रसंस्करण गतिविधि की जाती है। इसके अलावा, ऐसी उत्पादन गतिविधि एक औद्योगिक उपक्रम द्वारा की जानी चाहिए।

सी. सी. ई. बनाम. मार्कफेड वनस्पित एंड एलाइड इंडस्ट्रीज, [2003] 4 एस. सी. सी. 184 में रिपोर्ट किया गया, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि यह साबित करने का भार कि उत्पादन है, राजस्व पर है। उस मामले में सवाल यह उठा कि क्या माल केवल इसलिए उत्पाद शुल्क योग्य हो गया क्योंकि यह शुल्क वस्तु के दायरे में आता है। स्पेंट अर्थ (पृथ्वी) एक अर्थ (पृथ्वी) थी जिस पर शुल्क का भुगतान किया गया था, प्रसंस्करण के बाद भी यह अर्थ (पृथ्वी) बनी रही। इस प्रकार यदि उस पर फिर से शुल्क लगाया जाता है, तो यह उसी उत्पाद पर दोहरा शुल्क लगाने के बराबर होगा। इस न्यायालय ने आगे कहा कि वहां निर्माण नहीं माना जायेगा जहां एक ही वस्तु दो अलग अलग प्रविष्टियां में आती हो।

सी. सी. ई. बनाम टेक्नोवेल्ड इंडस्ट्रीज एस. सी. सी. 798 [2003] 11 के मामले में सवाल यह था कि क्या तारों से तार की छड़ें खींचना निर्माण है। यह माना गया था कि दोनों उत्पाद तार थे और केवल इसलिए कि वे दो अलग-अलग प्रविष्टियों से ढके हुए थे, इसका मतलब यह नहीं था कि उत्पाद एक्साइज़ेबल था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि

किसी भी निर्माण के अभाव में उत्पाद केवल दो अलग-अलग प्रविष्टियों के कारण उत्पाद शुल्क एक्साइजेबल नहीं होगा।

मेटलेक्स (1) (पी) लिमिटेड बनाम सी. सी. ई. ने [2005] 1 एस. सी. सी. 271 के मामले में इस न्यायालय ने कहा कि प्रविष्टि साधारण फिल्म और फिल्म के बीच कोई अंतर नहीं करती है जो लाखदार या धातुकृत या टुकड़े टुकड़े में होती है। अदालत एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंची कि एक फिल्म बनी हुई है और कोई नया या विशिष्ट उत्पाद अस्तित्व में नहीं आया है।

अमन मार्बल इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड बनाम सी. सी. ई., [2005] 1 एस. सी. में रिपोर्ट की गई, सवाल यह उठा कि क्या संगमरमर के स्लैबों को काटना केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के उद्देश्य से निर्माण के बराबर है। इस न्यायालय ने कहा कि गतिविधि पूरी होने के बाद एक संगमरमर, संगमरमर ही रहेगा। इसलिए इस गतिविधि पर कर नहीं लगाया गया।

राजस्थान एस. ई. बी. बनाम. एसोसिएटेड स्टोन इंडस्ट्रीज, [2000] 6 एस. सी. सी. 141 में रिपोर्ट किया गया, इस न्यायालय ने कहा कि अधिनियम में इसकी परिभाषा के अभाव में आम तौर पर और सामान्य बोलचाल में 'निर्माण' शब्द का अर्थ कुछ परिवर्तन से गुजरने के बाद एक विशिष्ट नाम, चरित्र या उपयोग वाली एक नई और अलग वस्तु को

अस्तित्व में लाना समझा जाना चाहिए। जब कोई नया उत्पाद अस्तित्व में नहीं आता है, तो निर्माण की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। पत्थरों को स्लैब में काटना और चमकाना एक प्रक्रिया नहीं है, स्पष्ट और सरल कारण के लिए निर्माण का कोई नया और विशिष्ट वाणिज्यिक उत्पाद अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि अंतिम उत्पाद अभी भी पत्थर बना हुआ था और इस प्रकार इसकी मूल पहचान जारी रही। अंततः, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह स्वीकार करना भी संभव नहीं था कि पत्थरों की खुदाई और उसके बाद उन्हें स्लैब में काटने और चमकाने के परिणामस्वरूप कोई नये माल का निर्माण नहीं हुआ है आैर पत्थर पत्थर ही रहा है, जो उसका मूल चरित्र है, वही रहा।

श्याम ऑयल केक लिमिटेड के मामले में विचार के लिए प्रश्न (ऊपर) यह था कि क्या अपीलार्थी द्वारा निर्मित खाद्य तेल के प्रसंस्करण के परिणामस्वरूप उत्पादन हुआ। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न तो अनुभाग टिप्पण में और न ही अध्याय टिप्पण में और न ही प्रशुल्क मद में हमें कोई संकेत मिलता है, कि इंगित प्रक्रिया निर्माण के बराबर है। शुरू में उत्पाद खाद्य वनस्पति तेल था। शोधन के बाद भी यह खाद्य वनस्पति तेल वन रहा। चूंकि वास्तविक निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए उपरोक्त प्रावधान इस पर लागू नहीं होता।

हमने पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है। हमारे द्वारा भी दलीलों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया गया और उनके द्वारा तय किए गए मामलों की एक श्रृंखला की जांच की। यह न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्ष अपरिहार्य हैं:

- (1) अपीलार्थियों द्वारा की गई प्रक्रिया के अनुसार मूल पहचान और मूल चिरत्र एमएस वैल्डेड पाइप की नहीं बदलती है और उससे नया विपणन योग्य उत्पाद नहीं बनता है उसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 2 (च) में नहीं लाया जा सकता है।
- (2) उत्पादन साबित करने का भार हमेशा राजस्व पर होता है। इस प्रकरण में राजस्व पूरी तरह से यह साबित करने में विफल रहा है कि अपीलार्थी द्वारा की गई गतिविधि विनिर्माण के बराबर है। यह तय किया गया कानून है कि जब एक विशेष वस्तु निर्दिष्ट प्रविष्टि के अंतर्गत आती है तो उसे अवशिष्ट प्रविष्टी में नहीं लाया जा सकता।
- (3) अवशिष्ट प्रविष्टि केवल उन श्रेणियों के सामानों के लिए है। जो स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट प्रविष्टियों के दायरे से बाहर हैं। जब तक कि विभाग यह स्थापित कर सकता है कि विचाराधीन माल द्वारा वेल्डिंग की किसी भी संभावित प्रक्रिया को किसी भी प्रविष्टी के अधीन नहीं लाया जाता, तभी विशिष्ट प्रविष्टी का इस्तेमाल किया जाता।

तय कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थियों की गतिविधि वांछित लंबाई प्राप्त करने के लिए केवल अलग-अलग आयामों के तीन पाइपों को एक दूसरे के साथ जोड़ना कल्पना के किसी भी विस्तार से 'निर्माण' की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता है।

नतीजतन, इन अपीलों को अनुमित दी जाती है और कारण बताओं नोटिस को निरस्त किया जाता है, न्यायाधिकरण और आयुक्त के विवादित निर्णय को अपास्त कर दिया गया, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अलग रखा जाता है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हम पक्षों को अपनी लागत वहन करने का निर्देश देते हैं।

इस निर्णय को पूर्ण करने से पहले हम यह कहना चाहेंगे कि उत्तरदाता कारण बताओं नोटिस जारी करने से पहले कानून के सुस्थापित सिद्धांतों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करेंगे जो इस न्यायालय के निर्णयों के द्वारा प्रतिपादित किये गये हैं, उत्तरदाता को इस ओर गंभीर होकर ध्यान देने की जरूरत है कि जहां उत्पादन शुल्क लगना चाहिए, वहां उत्पादन शुल्क लगना चाहिए, वहां उत्पादन शुल्क लगना चाहिए। राजस्व को बिना सोचे कारण बताओं नोटिस भेजने चाहिए यह हम सभी का दायित्व है कि बिना जरूरत के ऐसी मुकदमेबाजी रोकी जा सकती है, जिससे न्यायालय की शक्ति और समय बर्बाद न हो।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से न्यायिक अधिकारी **तसनीम खान** (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।